

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रवणकुमार बनाम बहसीभदर माण्डल

क्रिस मुकदमा प्री-पत्र द्वारा 09 R09 नं० 51 सन 2020
151 जा. 1

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
2-9-20	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 8-10-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल	
8-10-20	पत्रावली पेश हुई, प्रमाणिकरण द्वारा न्यायिक कार्य प्रारम्भ कर रखने से पत्रावली दिनांक 16-10-20 को पेश हो।	
16-10-20	पत्रावली पेश हुई, प्रमाणिकरण द्वारा न्यायिक कार्य प्रारम्भ कर रखने से पत्रावली दिनांक 23-10-20 को पेश हो।	
23-10-20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, पैरोकार सरकार उपस्थित, वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 09 R09 व द्वारा 151 जा. 10 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पर वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में श्रेष्ठित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना को खींच कर किया जाकर मूल प्रार्थना से 30/10/20 को पुनः भन्वर पर लिये जाने की इस्तुआ की। जब कि पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 09 R09 व द्वारा 151 जा. 10 को खारीज किये जाने की इस्तुआ की। मैंने पत्रावली का श्रवणलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर भवन किया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11-9-20 को वकील प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी / अदमपैवी	23/10/20



कार्य
क्रम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अनुक्रम
हुकम की
में

में खारीज किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रा
पत्र 21.9.20 को प्रस्तुत किया जो अदर
अवधि में प्रस्तुत हो अदर अवधि में प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत होने से प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर
पर लेना आवश्यक है

∴ आदेश ∴

अतः न्यायक्षेत्र में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र 09 R09 वद्वारा 151 जा.पी. के
स्वीकार किया जाकर प्रकरण सं. 30/20 रा.
प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिपे जाने का
आदेश दिया जाता है प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्ट्र
किया जावे। पत्रवाली फ़ैसल नुमा होकर वकील
प्रार्थना पत्र के साथ सल्लम की जाये।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा